वहां होने वाले शिक्षा विभाग से संबंधित विशिष्ट निर्णय इस मुद्दे से निपटना कि इसके आधार पर कोई पदोन्नति नहीं की जानी चाहिए प्रशासनिक निर्देश यदि वैधानिक नियम ऐसे के लिए प्रदान नहीं करते हैं एक पदोन्नति, अभी भी निर्देश 26.9.2001, 17.4.2003 को जारी किए गए थे और २.५.२००३. वही न केवल परिहार्य बनाने के परिणामस्वरूप हुआ है मुकदमेबाजी लेकिन उसके पास निर्देश जारी करने वाले अधिकारी के आचरण को दर्शाता है इस अदालत के फैसले का कोई सम्मान नहीं. संबंधित अधिकारी की कार्रवाई है *प्रथम दृष्टया* अवमानना.

(13) राज्य के लिए सीखा वकील अदालत को अवगत कराने के लिए समय चाहता है अधिकारी के बारे में, जिन्होंने इन निर्देशों को जारी करने की मंजूरी दी थी कानून के अनुसार उसके खिलाफ आगे बढ़ना.

(14) यह निर्देशित है कि भविष्य में, यदि कोई निर्देश होना है जारी किया गया, वही पहले कानून विभाग से प्राप्त किया जाएगा, जो प्रावधानों में निर्देशों के साथ विशेष रूप से व्यवहार और उल्लेख करना चाहिए वैधानिक नियमों में, विज़-ए-विज़ निर्देश.

(15) मामलों को 1.5.2014 को उद्देश्य के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

जे.एस. मेहंदीराता

अजय तेवरी से पहले, न्यायाधीश

SUDE SH *कुमारी — याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा की स्थिति और *OTHERS — उत्तरदाताओं*

2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 4663

23 अगस्त 2013

भारत का संविधान, 1950 -आर्ट्स। 14 और 226 - सेवानिवृत्त लाभ - DWCRA योजना, 2005 - याचिकाकर्ता को पंचायत समिति, कर्णल में 01.05.1976 को शिल्प शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया - उनकी सेवा को नियमित किया गया दिनांक 13.05.1985 तक - हरियाणा राज्य ने DWCRA योजना शुरू की 2005 में प्रत्येक ब्लॉक में ग्राम सेविका की अतिरिक्त पोस्ट बनाना -याचिकाकर्ता और 45 अन्य नियमित शिल्प शिक्षकों को स्थानांतरित किया गया था तदर्थ आधार पर विकास विभाग - याचिकाकर्ता की सेवाएं की अनुपलब्धता के कारण ग्राम सेविका को नियमित नहीं किया गया था याचिकाकर्ता को जूनियर कुछ शिक्षकों की रिकॉर्डबुट सेवाओं को नियमित किया गया था ग्राम सेविकस के रूप में- याचिकाकर्ता 31.01.2010 को सेवानिवृत्त हुए - सेवानिवृत्त लाभ याचिकाकर्ता को इस आधार पर मना कर दिया कि ग्राम सेविका के रूप में उसकी सेवाएं थीं

नियमित नहीं किया गया था और जब वह ग्राम सेविका के रूप में शामिल हुई तो उसने यह वचन दिया था कि वह पिछले किसी भी लाभ का दावा नहीं करेगी शिल्प शिक्षक के रूप में सेवा और उस समय तक उसके रिकॉर्ड का पता लगाया गया था D WCRA स्कीम लैप्स हो गई थी - हेल्ड, कि उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है उसी लाभ को देने के लिए जैसा कि रिट कोर्ट ने एक को दिया है उन व्यक्तियों में से जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे, जिनके मामले में भी था इसी तरह नियमित नहीं किया गया था और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि दिए गए उपक्रम के बावजूद, वह सेवानिवृत्त होने का हकदार होगा शिल्प शिक्षक के रूप में प्रदान की गई सेवा के लाभ के साथ-साथ लाभ पेंशनभोगी सेवा की गणना करते समय पंचायत सामिति - का सिद्धांत एस्टोपेल लागू नहीं होगा.

यह निर्णय दिया गया कि याचिकाकर्ता के तर्क में बल है कि अधिकार है नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ता की तारीख जब कोई व्यक्ति होता है उसके लिए जूनियर को नियमित किया गया था और उसके बाद याचिकाकर्ता क्या होगा जोर देना नियमितीकरण का इतना अधिकार नहीं होगा बल्कि गैर का अधिकार होगा भेदभाव. यह योजना व्यपगत नहीं थी और बाद में याचिकाकर्ता के मामले को नियमित करने के लिए माना जाता है जिस तारीख को उसके जूनियर को नियमित किया गया था. यह तथ्य कि योजना चूक गई के साथ नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ता के मामले से कोई संबंध नहीं होगा उसके जूनियर को नियमित करने की तारीख से प्रभाव. कि सीडब्ल्यूपी में नहीं. 17695 2011 में 27.03.2012 को निर्णय लिया गया *द्रोपदी देवी वी. हरियाणा राज्य* के याचिकाकर्ता उन व्यक्तियों में से एक थे जो जूनियर थे याचिकाकर्ता, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए उपक्रम के बावजूद कहा कि वह पिछली सेवा के लाभ का दावा नहीं करेगा उसे एस्टॉप करने के लिए काम करते हैं. याचिकाकर्ता को सेवा अवधि दी जाएगी पेंशनभोगी सेवा के हिस्से के रूप में पंचायत समिति में शिल्प शिक्षक और पेंशन उस आधार पर काम की जाएगी और बकाया राशि जारी की जाएगी उसे 12 सप्ताह की अवधि के भीतर.

(पैरा 6)

K.L.Dhingra, एडवोकेट *याचिकाकर्ता के लिए.*

श्रुति गोयल, एएजी, हरियाणा.

AJAY TEWARI, जे. (मौखिक)

(१) यह आदेश पूर्वोक्त दो याचिकाओं का निपटान करेगा 2011 के सीडब्ल्यूपी नं। 4663 और 10.284. आम सवालों के बाद से कानून और तथ्य शामिल हैं, उसी का निपटारा किया जा रहा है सामान्य आदेश. तथ्यों को 2011 के सीडब्ल्यूपी नंबर 4663 से लिया जा रहा है.

D: 11 L R-20151IL R-151IL R-02A MK ° K'"15'""ff '345' "में,. 22-5-1510,पी > 74'85 26-5-15127-5-1513-7-151S. K.-9-7-1510. पी > 25-7-15182

(2) इस याचिका के द्वारा याचिकाकर्ता ने रेटिरल लाभ का दावा किया है. वह थी 1.5.76 को पंचायत समिति, कर्णल में एक शिल्प शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया. इसके बाद 13.5.85 को उसे नियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया सेवाएं: —

"से हरियाणा के आयुक्त और सचिव विकास और पंचायत विभाग को राज्य के सभी उपायुक्त Haryana.मेमो. नहीं. 632-I ECD-III-83/3287 चंडीगढ़, दिनांक 4.5.83

विषय: सिलाई शिक्षकों की सेवा के बारे में.

संदर्भ: यह विभाग ज्ञापन एन. 435-मैं-ECD111-83 / 1304 दिनांक 18.2.83.

सरकार ने उपर्युक्त विषय पर निर्णय लिया है सिलाई शिक्षकों के पास 3 वर्ष या उससे अधिक सेवा होनी चाहिए नियमित पदों पर नियुक्ति. में काम कर रहे सिलाई शिक्षक राज्य और तीन साल या अधिक सेवा और अभी भी नहीं है नियमित पदों पर नियुक्त उनके विवरण के तहत हैं: -

Sr.No.	जिला	**ब्लॉक**	नाम	कुल सेवा अवधि	
				साल	महीने
XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	XX XX	
20.	Kukukshetra	Shahabad	सुदेश कुमारी	3	1 1

(3) इन महिला सिलाई शिक्षकों को उनके लिए आवंटित किया जाता है नियमित नियुक्ति: —

Sr.No.	का नाम शिक्षक	वर्तमान ब्लॉक	प्रस्तावित ब्लॉक	कुल सेवा	
				वर्षों	महीने

(४) वर्ष २००५ में DWCRA नामक एक नई योजना शुरू की गई प्रत्येक ब्लॉक में और

X X X X 20	xx xx सुदेश कुमारी	XX XX Shahabad	XX XX Pehow a	०० ,	00

योजना को ग्राम सेविका के एक अतिरिक्त पद को मंजूरी दी गई थी. वो पोस्ट खाली पड़े थे और इसलिए, सरकार ने महसूस किया कि महान है इस योजना के उचित कार्यान्वयन में कठिनाई का सामना किया जा रहा था विकास विभाग और पंचायतों को 45 लेने का आदेश दिया गया था तदर्थ आधार पर स्थानांतरण द्वारा विकास विभाग में शिक्षक. याचिकाकर्ता 45 नियमित शिल्प शिक्षकों में से एक था जिन्हें स्थानांतरित किया गया था उक्त योजना के तहत. दिनांक 01.10.2003 तक उत्तरदाताओं ने लिया उन सभी व्यक्तियों को नियमित करने का निर्णय जो तदर्थ आधार पर काम कर रहे थे और 45 में से 33 शिल्प शिक्षकों की सेवाओं के अनुसार ग्राम सेविका के रूप में नियमित किया गया, जिनमें से कुछ जूनियर थे शिल्प शिक्षक के रूप में याचिकाकर्ता. याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्तियों का मामला विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनका सेवा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था. इस बीच याचिकाकर्ता 31.01.2010 को सेवानिवृत्त हुआ. उसके सदमे से बहुत कुछ उसे इस आधार पर सेवानिवृत्त लाभ से वंचित कर दिया गया कि उसकी सेवाएं ग्राम के रूप में हैं सेविका को नियमित नहीं किया गया था और उस समय जब वह एक ग्राम सेविका के रूप में शामिल हुई थी, उसने एक वचन दिया था कि वह दावा नहीं करेगी क्राफ्ट टीचर के रूप में उसकी पिछली सेवा का कोई भी लाभ. इसलिए वर्तमान याचिका.

(5) उत्तर में उपरोक्त स्टैंड को दोहराया गया है और यह किया गया है आगे कहा गया है कि जब तक याचिकाकर्ता के रिकॉर्ड का पता लगाया गया था नियमितीकरण की योजना समाप्त हो गई थी और वह सेवानिवृत्त हो गई थी. के अनुसार एक बार योजना समाप्त हो जाने के बाद राज्य याचिकाकर्ता नहीं बन सका नियमित किया.

(6) याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील का पहला तर्क यह है कि नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ता का अधिकार उस तारीख को क्रिस्टलीकृत होता है जब उसके लिए एक व्यक्ति जूनियर को नियमित किया गया था और उसके बाद याचिकाकर्ता क्या था जोर देकर कहा जाएगा कि नियमितीकरण का

इतना अधिकार नहीं होगा लेकिन ए गैर भेदभाव का अधिकार. उन्होंने आगे तर्क दिया है कि योजना थी नियमितीकरण के लिए विचार नहीं किया गया और बाद में याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया गया यह उस तारीख से होगा जब उसके जूनियर को नियमित किया गया था. इन में सीखी गई परिस्थितियों के अनुसार इस तथ्य की सलाह दी जाती है कि यह योजना समाप्त हो गई के साथ नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ता के मामले से कोई संबंध नहीं होगा उसके जूनियर को नियमित करने की तारीख से प्रभाव. उन्होंने आगे भरोसा किया है 2011 के फैसले के सीडब्ल्यूपी नंबर 17695 में इस न्यायालय का एक निर्णय 2012/03/27, ***द्रौपदी देवी वी. हरियाणा राज्य*** और तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता उन व्यक्तियों में से एक थे जो जूनियर थे याचिकाकर्ता और जिनके मामले को भी नियमित नहीं किया गया है. में इस मामले को अदालत ने इस प्रकार कहा: —

> "2. *यदि याचिकाकर्ता को किसी विशेष से नियमित किया गया था एक आदेश के माध्यम से तारीख और एक ही विभाग में जारी रखा और एक अलग कर्तव्य और एक अलग पदनाम को सौंपा गया, यह तथ्य कि एक उपक्रम प्राप्त किया गया था, को एस्टॉप करने के लिए नहीं लिया जा सकता है वह सेवा जो उसने उसी में रखी है, का विरोध करने वाला व्यक्ति एक और क्षमता में विभाग को बाहर रखा जाना चाहिए. मुद्दा इस की एक बेंच द्वारा थोड़ी अलग स्थिति में जवाब दिया गया था हरियाणा 20071 आरएसजे 582 के ओम पाटी वर्सस राज्य में न्यायालय. द बेंच एक में सेवा की गिनती के मुद्दे पर विचार कर रहा था व्यक्ति के लिए पात्रता के लिए पंचायत सामिति यह उक्त सेवा में समाहित था. न्यायालय ने कहा कि पंचायत सामिति में प्रदान की गई सेवा जो के संदर्भ में है सरकार की नीति ने राज्य में अवशोषण की भी अनुमति दी सेवा व्यक्ति को ऐसी सेवा की गणना करने के योग्य बनाएगी पेंशनभोगी सेवा के लिए एकत्र के रूप में पंचायत सामिति. मैं उसी सिद्धांत को लागू करेगा और उस पर ध्यान दिए बिना पकड़ करेगा याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया उपक्रम जो वह दावा नहीं करेगा पिछली सेवा का लाभ यह उसे एस्टॉप करने के लिए संचालित नहीं कर सकता है. द याचिकाकर्ता को शिल्प शिक्षक की सेवा अवधि दी जाएगी पेंशनभोगी सेवा और के हिस्से के रूप में पंचायत सामिती पेंशन उस आधार पर काम की जाएगी और बकाया राशि होगी 12 सप्ताह की अवधि के भीतर उसे रिहा कर दिया गया."*

(7) उन्होंने आगे कहा है कि यह निर्णय बन गया है अंतिम और सभी लाभ उस याचिकाकर्ता को जारी किए गए हैं.

(8) मेरी राय में के लिए सीखा वकील का तर्क याचिकाकर्ता को अलग नहीं किया जा सकता है.

(9) परिस्थितियों में पूर्वोक्त रिट याचिकाओं की अनुमति है और उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को समान देने के लिए निर्देशित किया जाता है लाभ के रूप में उक्त दारोगा देवी को दिया गया है. आवश्यक होने दें एक ही काम करने और उन्हें जारी करने की कवायद की जाती है इस आदेश की प्रमाणित प्रति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो याचिकाकर्ता दावा करने का हकदार होगा 8% की दर से ब्याज के साथ ही पी.ए. उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से भुगतान की तारीख तक.